उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463
Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 8256/25 दिनांक– 17-09-25

महत्वपूर्ण सूचना

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2025–26 के संबंध में सूचित किया जाता है कि तृतीय चक्र की काउंसलिंग दिनांक 17.09.2025 से प्रारम्भ की जायेगी। उक्त से संबंधित निम्नलिखित समय–सारणी जारी की जाती है–

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
1	Counselling Round-3 Registration	17.09.2025 से 21.09.2025
2	Counselling Round-3 Preference Filling	17.09.2025 से 22.09.2025
3	Decision Making Round-3	24.09.2025 से 29.09.2025
4	College Reporting Round-3	24.09.2025 से 30.09.2025

प्रथम/द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) हेतु आवेदन से पूर्व सूचना विवरणिका में उल्लिखित **"अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) की प्रक्रिया"** को भली भाँति पढ लें, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं–

1. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की च्वाइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा।
2. **यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं उस पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।**
3. **अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरान्त आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुये सीट एवं पूर्व में प्रवेशित सीट दोनों पर अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुये सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड हुय (दोनों ही) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।**
4. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात् पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से निर्धारित पठन–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त जमा की गयी अन्य मदों की फीस (यदि वापसी हेतु मान्य हो) एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा।

उपरोक्तानुसार ही अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) हेतु आवेदन करें। आवंटित सीट में परिवर्तन तथा अभ्यर्थन की निरस्तता का समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार कृत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।